juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Joint Director or equivalent rank – Chairman; 2. Senior Administrative Officer or equivalent rank – Member; 3. Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member.	

[F. No. BRDB/01/06/2021/GE-1/54/RR/D.(Appt)/2024]

M. P. HARINARAYANAN, Under Secy.

(वित्त प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून 2024

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2022 और रक्षा लेखा विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2008 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. नियंत्रण प्राधिकारी .— पद प्रशासनिक रूप से रक्षा मंत्रालय (वित्त) के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. स्थानांतरण के लिए दायित्व .— ज्येष्ठ लेखा अधिकारी भारत में कहीं भी स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होगा।

6. निरर्हताएं :- कोई व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ लेखा अधिकारी।	2108* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' 'राजपत्रित' अननुसचिवीय,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500 रु)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 (47600-151100रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 9 (53100-167800रु.) के गैर-कार्यात्मक ग्रेड में प्रदान की गई सेवा भी है और विभाग द्वारा यथाविहित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान आदि में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **नोट 1.-** रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के ग्रेड पर प्रोन्नति इन नियमों के प्रकाशन की तारीख पर केवल विभाग में सेवारत विद्यमान सहायक लेखा अधिकारियों में से ही की जाएगी, जब तक कि सहायक लेखा अधिकारी (स्तर-08) के लिए भर्ती नियम दोबारा राजपत्र में अधिसूचित नहीं किए जाते । नोट 2.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसमें द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से आधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर क्षेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में कार्यरत अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) रक्षा लेखा महानियंत्रक – सदस्य; (3) अपर वित्तीय सलाहकार या उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त) – सदस्य; (4) रक्षा लेखा संयुक्त वरिष्ठ महानियंत्रक या रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या प्रधान लेखा नियंत्रक (कारखाना) या प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार या रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या वित्त एवं लेखा नियंत्रक या एकीकृत वित्तीय सलाहकार – सदस्य। विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगें :- (1) रक्षा लेखा महानियंत्रक – अध्यक्ष; (2) अपर वित्तीय सलाहकार या उप वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त) – सदस्य ; (3) रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक या वित्त एवं लेखा नियंत्रक (कारखाना) या रक्षा लेखा नियंत्रक या एकीकृत वित्तीय सलाहकार – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-9 (53100-167800रु.) में ग्रेड में या समतुल्य में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100रु.) में ग्रेड में या समतुल्य में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हो : - केंद्रीय सरकार के संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 9 (2)/DAD/C/2022]

वेदवीर आर्य, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार

(Finance Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2024

S.R.O. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2022 and Defence Accounts Department (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2008 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accounts Officer in the Defence Accounts Department, namely:-

1. Short title and commencement.— **(1)** These rules may be called the Defence Accounts Department, Senior Accounts Officer Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Controlling Authority.—The post shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence (Finance).

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

5. Liability for transfer.—The Senior Accounts Officer shall be liable to transfer anywhere in India.

6. Disqualifications.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-serviceman and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Senior Accounts Officer.	2108* (2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs 56100-177500) in the pay matrix .	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
PROMOTION:- Assistant Accounts Officer in Level -8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with six years of regular service including service rendered in non-functional grade	**Departmental Promotion committee for considering the promotion, consisting of :-** (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman (2) Controller General of Defence Accounts	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

of Level-9 (Rs.53100-167800) in the pay matrix and has successfully completed mandatory training of two weeks in the Regional Training Centres or any other recognised Institute viz Institute of Secretariat Training & Management, National Institute of financial Manage ment etc as prescribed by the department. **Note 1.-** The promotion to the grade of Sr. Accounts Officer in the Defence Accounts Department shall be made only from the existing Assistant Accounts Officers serving in the department on the date of publication of these rules, till the Recruitment rules for the Assistant Accounts Officer (Level-08) are again notified in the official Gazette. **Note 2 .-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **DEPUTATION:-** Officers working in the Central Government or State Government or Union territories : (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years of regular service in level-9 (Rs. 53100- 167800) in pay matrix in the grade or equivalent; or (iii) with six years of regular service in level-8 (Rs. 47600- 151100) in pay matrix in the grade or equivalent; and (B) Possessing the following qualification and experience namely:- Pass in Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by the organised Accounts Department of the Central Government. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line	-Member (3) Additional Financial Advisor or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance) - Member (4) Senior Joint Controller General of Defence Accounts or Principle Controller of Defence Accounts or Principal Controller of Accounts (Factories) or Principal Integrated Financial Adviser or Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Controller of Finance and Accounts or Integrated Financial Adviser - Member **Departmental Confirmation committee for considering confirmation consisting of :-** (1) Controller General of Defence Accounts - Chairman (2) Additional Financial Adviser or Deputy Financial Adviser Ministry of Defence (Finance) - Member (3) Joint Controller General of Defence Accounts or Controller of Finance and Accounts (Factories) or Controller of Defence Accounts or Integrated Financial Advisor - Member	

of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall Ordinarily not to exceed three years. **Note 3.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 9(2)/DAD/C/2022]

VEDVEER ARYA, Jt. Secy. & Addl. FA

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंड़ल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2012 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी ख के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, सीमा सड़क संगठन में आशुलिपिक श्रेणी ख के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, आशुलिपिक श्रेणी ख (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या,